श्री प्रकाश जावडेकर : जैसा आपको पता है कि हमने यह बिल पास किया है कि एक लाख ई-रिक्शाएँ चलेंगी। यह प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा, क्यों न हम सभी लोग एक दिन साईकिल यूज़ करें और मैं तो चाहूंगा कि हमारे सारे मेम्बर्स भी कम से कम नज़दीक जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह केवल एक शुरुआत है, एक जन-आन्दोलन है।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: I would like to know whether you are going to construct special lanes for the cyclists. You are going to put them into a problem.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: No, no; we are not going to put them into a problem. Last, but not least, the problem has to be tackled. The Petroleum Ministry and the Transport Ministry, both are already actively considering the proposal whether they can pre-pone the emission norms' new standards which we were adopting. We had a plan up to 24th. They are actively considering whether that can be pre-poned.

श्री रवि प्रकाश वर्मा : धन्यवाद, सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण सवाल पर प्रश्न पूछने का मौका दिया। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हवा में जो भी pollutants हैं, इसमें carbon particles हैं, benzene है, monoxides हैं या sulphur dioxide हैं अथवा इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से हवा में जो suspended particles, chemicals या gases छोड़ी जाती हैं, क्या इनको neutralize करने के लिए आप कोई मेकेनिज्म सोच रहे हैं या नहीं? बाहर कई जगह इस काम को किया गया है, ऐसा मुझे पता लगा है।

श्री प्रकाश जावडेकर : अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है, तो वह हमें जरूर दीजिए, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह प्रॉब्लम आज सारी दुनिया के अन्दर है। वाहनों से और धूल से भी 2.5 particulate matter आता है। नॉर्थ इंडिया में loose soil है, इस loose soil से और Tropical countries में जो धूल उड़ती है, that is also one reason.

अमरीका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में धूल तो नहीं होती है, लेकिन वहां पर ozone और benzene की समस्या है। जिस संस्था ने भारत की स्टडी की है, एक्चुअली उन्होंने 91 देशों के 1600 शहरों का अध्ययन किया, लेकिन उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, केवल भारत के 13 शहरों के बारे में ही उन्होंने लिखा है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह भी एक मुद्दा है। अमरीका और यूरोप में जो ozone और benzene से क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है, वह स्टडी भी हमारे पास मौजूद है, हम उसकी जानकारी भी आपको देंगे।

Management of CFLs waste

*77. SHRI RAJ BABBAR: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government has estimated the CFL waste which gets accumulated in and around cities and if so, the details thereof;

(b) whether "Toxics Link" in its latest report have highlighted how the CFL bulbs are being disposed off in Delhi and Bhopal thus exposing the people to poisonous mercury, if so, the salient features of this Report; and

(c) whether Government proposes to enforce better management of CFLs and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Ministry of Environment, Forest and Climate Change has so far not estimated the generation of CFL waste in the country.

(b) Toxics Link, which is a non-governmental environment research and advocacy organization, has carried out a study in 2014 titled 'The park End - CFL Need Better Management' with the objectives of field level investigation into the present practices of handling mercury content in CFL lamps in India drawing samples from cities of Delhi and Bhopal. The major findings of the study indicate following:

(i) CFL usage is increasing for the reasons of longer life span, better lighting quality, fulfillment of wide range of lighting purposes and ease of usages.

(ii) There is no formal system of collection of used CFLs.

(iii) A large percentage of used CFLs is discarded like any other waste material through *kabadiwalas* and waste pickers operating in an informal set up.

(iv) There are no proper recycling facilities of CFLs existing in Delhi and Bhopal.

(v) Used discarded CFLs reach recyclers of plastic and glass materials, and are stored in the open or on bare floors.

(vi) The demand for plastic base of CFLs is higher than the glass top and *kabadiwalas* break the glass top at the nearest dump indiscriminately.

(vii) Used CFLs in good condition are sourced by informal small manufacturing units for repairing and re-sale. The repairing facilities are devoid of environmentally sound practices.

(viii) Glass recyclers wash the entire glass top containing mercury in boiling water and draining the mercury contaminated water in the drain.

(ix) A certain level of awareness was noticed.

In the process of unscientific dumping, breaking of CFLs by *kabadiwalas* to remove plastic and other valuable materials, transportation of broken CFLs, storage of broken CFLs in open areas, draining of the mercury contaminated water by glass recyclers and ethers lead to serious environmental and health hazards.

(c) The Ministry has undertaken many initiatives for environmentally sound management of end-of-life CFLs in the country. Ministry of Environment and Forests had constituted a Task Force in 2007 to evolve a policy for safe management of mercury from CFLs covering manufacturing, usage and disposal of CFLs besides creation of public awareness. In the same year, a Technical Committee was also constituted for developing safeguards for environmentally sound management of mercury. In line with the recommendations of Task Force and Technical Committee, "Guidelines for Environmentally Sound Mercury Management in Fluorescent Lamps Sector", are in place. The major recommendations of the Task Force include an independent notification under Environment (Protection) Act to manage the CFL waste which should *inter alia* include extended producers' responsibility, financing the safe disposal from the manufacturers of CFLs, integration of *kabadibawals* and RWAs in the system of collection, facilitating setting up of CFL recycling units by manufacturers, developing standard by BIS; and public awareness. The BIS has already developed a mandatory standard for manufacturing of CFLs in 2014. The process residues and waste from electronic industry; mercury and mercury compounds are covered for regulation under Schedule I and II, respectively of Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008. Rule 13 of e-waste (Management and Handling) Rules, 2011 regulates CFL with mercury content of more than 5mg. The Government is undertaking necessary measures required for environmentally sound management of mercury disposal including existing waste management rules.

श्री राज बब्बर : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने क, ख, ग प्रश्नों के जवाब तो दे दिए हैं, वे बहुत अनुभवी हैं, लेकिन इन्होंने सीएफएल बल्ब को लेकर यह जवाब दिया है कि इसके कचरे को इकट्ठा करने के अभी तक कोई मानक तैयार नहीं हुए हैं। महोदय, यह बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मेरा सवाल यह नहीं था कि हमारे पास कचरा इकट्ठा करने के क्या मानक हैं, किस तरह से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं या कितना इकट्ठा हो रहा है। मंत्री जी के लिखित जवाब से तो अगले सवाल सतही रह जाते हैं, फिर भी कम से कम आपने एक बात तो मानी है, वह यह है कि इस सीएफएल बल्ब के निपटान की जो क्रिया है, इससे उसके अन्दर नुकसान होता है। पारे से स्वास्थ्य खराब होता है, डायजेशन खराब होती है।

श्री सभापति : आपका क्वेश्चन क्या है?

श्री राज बब्बर : मेरा क्वेश्चन यह है कि आपने इसका निवारण क्या किया यह नहीं बताया, इसकी जगह आपने यह लिखा है कि हमने गाइडलाइन देख ली हैं और हमने आरडब्ल्यूए को कहा है कि वह इसे इकट्ठा करे। इस तरह तो आपने सिर्फ पद्धति तैयार की है। दुनिया में जहां-जहां भी सीएफएल बल्ब का निपटारण होता है, क्या उसका काम मेन्युफेक्चरर को दिया जाता है? क्या इस देश के अन्दर इस तरह की कोई प्रक्रिया प्रारम्भ होने जा रही है, जिसे सीएफएल के निपटारण की उचित व्यवस्था की जा सके। आज इसे कबाड़ी ले जाता है, वह कांच को एक तरफ कर देता है और पारे के सफेद पानी को नाले में बहा देता है, जिससे बीमारियां पैदा होती है। इससे त्वचा की बीमारियां होती है, हृदय की बीमारियां होती हैं, किडनी की बीमारियां होती हैं। क्या इसके बारे में सरकार ने कोई तरीका सोचा है? वह इसके लिए क्या करने वाली है?

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, माननीय सदस्य, श्री राज बब्बर जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अच्छा होता, अगर वे इस मुद्दे को अपनी पिछली टर्म में भी उठाते तो इस पर जल्दी ऐक्शन शुरू हो जाता, क्योंकि मैं आपको **...(व्यवधान)...**

श्रीमती विप्लव ठाकुर : मंत्री जी, आप इस प्रकार की बात न करें **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please... ...(*Interruptions*)... Let us not deviate. Answer the question only.

श्री राज बब्बर : मैं मंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहता हूं **...(व्यवधान)...**

SHRI ANAND SHARMA: The Minister should be requested to respond to the query. उचित होगा कि मंत्री जी यहां पर कटाक्ष और व्यंग्य न करें, जो प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न का उत्तर दें। **...(व्यवधान)...**

श्री मोहम्मद अली खान : मंत्री जी ने जो कहा, वह उचित बात नहीं है **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : आप बैठ जाइए **...(व्यवधान)...** Please answer the question only. ...(*Interruptions*)... Let us not deviate from the question.

श्री प्रकाश जावडेकर : महोदय, इसका उत्तर ऐसा है, आपने जो सवाल पूछा है **...(व्यवधान)...** एक मिनट। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : प्लीज़, आप लोग बैठ जाइए **...(व्यवधान)...** Please don't take away the precious time of the House. Just answer the question.

श्री प्रकाश जावडेकर : राज बब्बर जी हमारे साथी हैं और वे **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : आप यह कमेन्ट्री एरप्ट मत कीजिए **...(व्यवधान)...** प्लीज़, आप सवाल का जवाब दीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, सवाल का जवाब यह है कि हमने ई-वेस्ट के लिए नये रूल्स तैयार किए हैं। ड्राफ्ट ई-वेस्ट रूल्स में यह है। हमने नयी सरकार बनने के बाद सितम्बर में Minamata Convention, जो मरक्युरी का सारा कुछ देखता है, उसको हमने साइन किया है। तो हमने पहला बड़ा एक्शन यह लिया है कि हमने Minamata Convention साइन किया है, जिसे 10 देशों ने मान्य किया है, उसे हमने भी साइन किया है, लेकिन जब 50 देश होंगे, तब रेटिफाई होगा। एक एक्शन तो यह हुआ।

दूसरा एक्शन यह है कि ई-वेस्ट के ड्राफ्ट रूल्स वेबसाइट पर अभी रखे गये हैं। आप भी moef.nic.in वेबसाइट पर जाइए, मैं आपको अलग से सर्कुलेट भी करूँगा, क्योंकि वह आपके सुझाव के लिए ही रखा गया है। उस पर हम आप सब के सुझाव लेंगे। हम उसमें स्ट्रांग एक्शन लेना चाहते हैं। उसमें साइंटिफिक डिस्पोजल, रीसाइक्लिंग का साइंटिफिक तरीका और बाई बैक का अरेंजमेंट, जो आपने ईपीआर कहा, जो Extended Producers' Liability है, उसे हमने उसमें रखने का प्रोविजन किया है। एक महीने के बाद जब यह कंसल्टेशन पीरियड खत्म हो जायेगा, उसके बाद ई-वेस्ट रूल्स को तुरन्त लागू किया जायेगा। हमने इस समस्या को गम्भीरता से देखा है और हम इस पर काम करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Second supplimentary question.

श्री राज बब्बर: सभापति महोदय, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने तो आगे की बात कर दी, पहले मेरा सवाल यह था कि सीएफएल इकट्ठा करने के क्या मानक हैं? जब तक यह इकट्ठा नहीं होगा, तो क्या जो म्यूनिसिपल आर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आप बोलेंगे, आप आरडब्ल्यूए, जो प्राइवेट आर्गेनाइजेशन है, उसको आप यह जिम्मेदारी दे रहे हैं? आप गाइडलाइन समझ रहे हैं, आपने जवाब दिया है। मैं जानता हूँ कि आपने कहा कि इसे पिछली सरकार में करना चाहिए था। ...**(व्यवधान)**... यह अच्छी बात है।

MR. CHAIRMAN: Please, do not deviate.

श्री राज बब्बर: सभापति महोदय, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज प्रधान मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। प्रधान मंत्री महोदय हमेशा एक बात यह कहते हैं कि...

MR. CHAIRMAN: Please, concentrate on your supplementary question.

SHRI RAJ BABBAR: I am on the subject.

MR. CHAIRMAN: No; nothing other than supplementary question.

श्री राज बब्बर: ठीक है, सर। सभापति महोदय, यह एक निरन्तर प्रक्रिया है कि एक तकनीक आती है, उसके बाद कोई और नयी तकनीक आती है। पहले हम बल्ब इस्तेमाल किया करते थे, वही बल्ब आज भी गाँवों में इस्तेमाल होते हैं। ज्यादा उजाले के लिए सीएफएल बल्ब आने शुरू हो गये, तो ये इस्तेमाल किये जाने लगे। इन्होंने बताया कि इससे हानि क्या है। अब आगे जो आने वाला बल्ब है,

वह एलईडी बल्ब है। आज एलईडी बल्ब की कीमत यहां ज्यादा है। आज यहां पर सीएफएल बल्ब की जो कीमत है, अगर आप किसी भी कम्पनी का देखने जाएँ, तो अगर आप 23 वॉट का लेते हैं, तो यह 220 रुपये का है, 20 वॉट का लेते हैं, तो यह 140 रुपये का है और 15 वॉट का लेते हैं, तो...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

श्री राज बब्बर: सर, मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: You cannot convert it into a debate.

SHRI RAJ BABBAR: I am not deviating. I am not deviating.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you have asked a primary question and the reply has been given. Now, ask the supplementaries.

SHRI RAJ BABBAR: Sir, this is supplementary.

MR. CHAIRMAN: Okay. Fine. Just ask the question.

SHRI RAJ BABBAR: Okay. The question is this. इस तकनीक की, जो सीएफएल बल्ब है, उसकी हानियां हमें समझ में आ रही हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है कि हम एलईडी की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 80 रुपये में एलईडी बल्ब मिलता है। तो देश के किस कोने में इतने रुपये में वह मिलता है? यहां 100 रुपये का तो एक सीफएल मिलता है, लेकिन आप बाहर जाकर, फेरी लगाकर, कहां पर कह रहे हैं कि 80 रुपये में एलईडी ले जाओ? प्रधान मंत्री जी हिन्दुस्तान में कोई कोना बताएं, जहां पर एलईडी का बल्ब 80 रुपये में मिलता हो, तो कम से कम यह देश जो है, **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति: आपका मंत्री जी से क्या सवाल है?

श्री राज बब्बर: आप बाहर जाकर, फेरी लगाते हैं कि 80 रुपये में एलईडी बल्ब मिलता है।

श्री सभापति: आपका सवाल क्या है?

श्री राज बब्बर: सर, मेरा सवाल यह है कि एलईडी जो नयी तकनीक है, क्या यहां पर 80 रुपये में मिलती है? अगर मिलती है, तो इस सदन को बतायें, ताकि देश को बताया जा सके।

MR. CHAIRMAN: Thank you. That is all. That is the only question to be answered.

श्री प्रकाश जावडेकर: सभापति महोदय, यह मूल प्रश्न सीएफल और उसके प्रॉपर डिस्पोजल के बारे में है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सीएफएल का एक फायदा है, वैसे एलईडी का भी फायदा है। जो नयी टेक्नोलॉजी आती है, उससे यह समझिए कि एक फायदा यह है कि ऊर्जा की बचत हुई, लेकिन उससे भी कोई न कोई समस्या आती है। हर कोई अच्छी चीज़ ऐसी नहीं होती, जिससे कोई भी समस्या पैदा नहीं हुई हो, लेकिन उसको हम डील कैसे करते हैं। यह जो एलईडी का पूछा गया,

वह मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें भी लीथियम का मामला है। यह जो नया ई-वेस्ट रूल है, उसमें उसके भी डिस्पोजल का प्रॉपर तरीका अभी से हम तैयार कर रहे हैं। मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूँ। दुनिया में 600 करोड़ सीएफएल लैम्प्स यूज़ होते हैं। भारत में उनमें से 2 करोड़ हैं। **...(व्यवधान)...** लेकिन हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसकी प्रॉपर डिस्पोज़ल व्यवस्था, उसकी रिसाइक्लिंग व्यवस्था हो, इसको हम करेंगे। **...(व्यवधान)...**

श्री राज बब्बर: सर, हम नई तकनीक का स्वागत करते हैं। मंत्री महोदय, हम एलईडी का स्वागत करते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान में यह 80 रुपए में दिलवा तो दीजिए। हम तो यह कह रहे हैं कि अगर कनाडा के टोरंटो में 80 रुपए में बिक सकता है **...(व्यवधान)...** अगर वहां फ्री लग सकती है, तो हिन्दुस्तान में क्यों नहीं फ्री लगाते हैं?

MR. CHAIRMAN: Please answer only the question he has asked and nothing else.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, he has asked the question which is not related to this Question.

MR. CHAIRMAN: Fine. Now, Shri Singh Deo.

SHRI A.U. SINGH DEO: Sir, a significant percentage of waste mercury containing lamps, such as CFLs, used mostly in homes to the fluorescent tubes, commonly used in offices and high intensity discharge (HID) lamps used for street-lighting and sports grounds end up in landfill each year. The commercial and public space account for the largest consumption of mercury containing lamps. What are the current practices and trends, if any, for disposal by such commercial and public space lighting companies; if not, the reasons thereto and steps being undertaken/proposed to be undertaken by the Ministry thereof?

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, दुर्भाग्य से आज यह व्यवस्था न होने के कारण ही नए e-waste rules and Minamata Convention को इस सरकार ने कबूल किया है, क्योंकि हम यह व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं और ड्राफ्ट रूल्स हैं। Next month से वह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जैसे हमने पांच तरह के wastes के लिए रूल्स बनाए हैं, इनमें यह इम्पोर्टेंट है। आज क्या होता है, यह भी समझना जरूरी है। आज इसको कबाड़ी वाला ले जाता है और उनके लिए ग्लास और प्लास्टिक इम्पोर्टेंट होता है, उनको वे ले जाते हैं। When we do recycling units, नए-नए शुरू होंगे, तो उसमें इसकी और अच्छी कीमत मिलेगी, तो वह उसको तोड़ेंगे नहीं, लेकिन buy-back के arrangement को भी हम compulsory करना चाहते हैं।

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, my question is straight and simple. The Minister is not responding and round and round answer is being given. Since the Task Force has already made certain recommendations, I would like to know from the hon. Minister whether he is going to create any waste management system for these kinds of bulbs.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Yes, absolutely. E-waste rule में तीन methods सजेस्ट किए गए हैं। इनमें पहला है प्रॉपर कलेक्शन, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में proper collection नहीं होता है, even बड़े-बड़े प्रगतिशील देशों में नहीं होता है। मैं यह चाहता हूँ कि home collection भी हो, bulk user का भी हो।

दूसरा यह है कि जो रिसाइक्लिंग possible है, उसको refixing बोलते हैं, वह करना है और इसको शासकीय तरीके से करना है ताकि वर्कर्स को mercury वगैरह से कोई हानि भी न हो। यह भी देखना है।

तीसरी बात यह है कि buy-back arrangement से कलेक्शन होगा, proper disposal होगा और उसके साथ ही फिर उसका जो proper disposal है, वह भी करेंगे। On all the three aspects, we have made rules. Please see them and give your suggestions. We welcome your suggestions.

SHRI K.T. S. TULSI: Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to know whether it is not true that in 2014 there was 14.93 million CFLs waste which was collected in Delhi alone. Those are the statistics and the hon. Minister is not correct when he says that the all-India waste is just 2 crores. Are we going to continue with these primitive ways of disposal of dangerous mercury? World over, the procedure is that the manufacturer is responsible for collection. There, in the contract with the Government, by which the Government purchases or the manner in which the local bodies purchase, the contract requires mandatory procedure for the manufacturer to receive it back and dispose it of scientifically. Is the Government unaware of all this?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: The Government is not unaware of this. I really want to seek your expert advice also. Mr. Tulsi, we have given those suggestions and exactly what you are saying is what we provided in the e-waste rules. Please go into those and give some more suggestions because we are providing extended producer's liability system. हम EPR system लागू करेंगे और इसमें यानी EPR system में कलेक्शन की भी responsibility होती है और प्रॉपर डिस्पोज़ल की भी जिम्मेवारी होती है। As per the Minamata Convention, we are going ahead.

Sanction of special grant for development of backward regions

*78. DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government has received any representation requesting for sanction of special grants to the backward areas in the State of Jharkhand, under Backward areas development Scheme, if so, the details thereof; and